

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2602]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/कार्तिक 11, 1938

No. 2602]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/ KARTIKA 11, 1938

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3354(अ).—केंद्रीय सरकार, शिक्षता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (3) के अनुसरण में 1 नवम्बर, 2016 को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिससे शिक्षुओं के बैंक खाते के माध्यम से वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा।

[सं.एमएसडीई-1(2)2015-एपी]

आशीष शर्मा, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2016

S.O. 3354(E).—In pursuance of sub-rule (3) of rule 11 of the Apprenticeship Rules, 1992, the Central Government hereby notifies the 1st day of November, 2016 as the date from which the stipend shall be paid through the bank account of apprentices.

[No. MSDE-1(2)/2015-AP]

ASHEESH SHARMA, Director General/Jt. Secy.